न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/68/2025	2025/343	18.09.2025	17.11.2025

1. जगदीश पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर हाल निवासी हनुमान मन्दिर आराकसारा रोड नियर नव शक्ति बाल मन्दिर स्कूल, पहाड़गंज नई दिल्ली।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

—असल रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार मालाखेडा आदेश दिनांक 03.07.2017 नामा0 सं0 1243 वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री धारासिंह —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार मालाखेड़ा के निर्णय दिनांक 03.07.2017 नामान्तकरण संख्या 1243 वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा जिला अलवर द्वारा दिनांक 03.07.2017 को अपीलान्ट के नाम जो इंतकाल सं० 1243 वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर मिन अपीलान्ट के पीछे से बालाबाला स्वीकार किया गया है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को दिनांक 09.08.2025 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट ने इंतकालाधीन आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 11.08.2025 को प्राप्त हुई जिसके अवलोकन से पता लगा कि उक्त इंतकाल मिन अपीलान्ट के नाम स्वीकार किया गया है जिस में मिन अपीलान्ट के पिता का नाम गलत दर्ज किया हुआ है जो कि मिन अपीलान्ट ने उक्त आराजी जरिये बयनामा खरीद की हुई है जिस बयनामा में भी मिन अपीलान्ट जगदीश पुत्र भगवान सहाय दर्ज है फिर भी मिन अपीलान्ट के पिता का नाम भगवान सहाय के स्थान पर रामस्वरूप गलत दर्ज किया गया है। मिन अपीलान्ट ने उक्त गलत नाम को सही करने हेतु तहसीलदार साहब मालाखेड़ा से निवेदन किया तो उन्होने बिना आदेश के कार्यवाही करने से इंकार कर दिया। इस प्रकार जानकारी की तारीख से यह अपील अंदर मियाद पेश की जा रही है। इसमें मिन अपीलान्ट की कोई बदयान्ती किसी प्रकार की नहीं है तथा आज्ञा दिनांक 09.07.2017 से जानकारी की तारीख दिनांक 09.08.2025 तक का समय धारा 05 मियाद अधिनियम के तहत माफ किये जाने योग्य है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना—पत्र पेश किया जा रहा है।

बयनामा दिनांक 28.06.2017 को उप—पंजीयक कार्यालय मालाखेडा में पंजीबद्ध किया गया जिसमें भी अपीलान्ट का वास्तविक एवं सही नाम जगदीश पुत्र भगवान सहाय दर्ज है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

फिर भी मिन अपीलान्ट के पिता का नाम भगवान सहाय के स्थान पर रामस्वरूप नामान्तकरण में दर्ज कर गलत स्वीकार किया गया है। इंतकालाधीन आराजी पर कभी भी असल रेस्पोडेंट सं. 1 का कोई कब्जा या काश्त नही रहा है लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने बिना मौका रिपोर्ट तलब किये एवं बिना मौका अवलोकन किये रेस्पोडेन्ट सं. 1 को काजवाज होकर उसके नाम इंतकाल स्वीकार किया गया है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान है एवं आलोच्य इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर की आज्ञा दिनांक 03.07.2017 बावत नामांतकरण (रजिस्ट्री) संख्या 1243 वाके ग्राम ढाकपुरी तहसील मालाखेडा जिला अलवर को निरस्त किया जा कर मिन अपीलान्ट का नाम जगदीश पुत्र रामस्वरूप के स्थान पर जगदीश पुत्र भगवान सहाय सही कर अपील स्वीकार फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा में वाके ग्राम ढाकपुरी के बयनामा नामांतकरण सं० 1243 स्वीकृत दिनांक 03.07.2017 में खसरा नं० 1186 रकबा 0.13 है० मे से 6/13 हिस्सा व खसरा नं० 1177 रकबा 0.10 है०, 1178 रकबा 0.03 है० कुल किता 2 रकबा 0.13 है० का 1/2 हिस्सा विक्रेता गिरधारी पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण ने क्रेता जगदीश पुत्र भगवान सहाय जाति ब्राह्मण सा०देह हाल हनुमान मंदिर अराकसारा रोड नियर नव–शक्ति बाल मंदिर स्कूल पहाडगंज नई दिल्ली बेचान दर्ज व स्वीकार किया गया परन्तु हाल जमाबंदी संवत 2074–77 वाके ग्राम ढाकपुरी खसरा नं० 1186 रकबा 0.13 है० में गिरधारी पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 7/13 जाति ब्राह्मण सा०देह एवं जगदीश पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 6/13 जाति ब्राह्मण सा०देह दर्ज कर दिया गया है जिसमें अपीलान्ट के पिता भगवान सहाय के स्थान पर रामस्वरूप नाम दर्ज हो गया है। नामांतकरण सं० 1243 में भी अपीलान्ट के पिता का सही नाम भगवान सहाय दर्ज व तस्दीक किया गया है परन्तु जमाबंदी में अमल करते समय अपीलांट के पिता का नाम रामस्वरूप अंकित कर दिया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2017 के विरूद्व दिनांक 15.09.2025 को पेश की गयी है अपीलान्ट को दिनांक 08.09.2025 को सर्वप्रथम जानकारी होने पर नामांतकरण की नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 15.09.2025 को अपील अन्दर पेश की जा रही है मियाद बिंदू प्रार्थना–पत्र दफा 5 पेश किया गया है। अपीलांट ने सर्वप्रथम जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत की गई जो लगभग 08 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट ने प्रस्तुत अपील में मुख्य कथन किया गया है कि उक्त विवादित आराजी अपीलांट ने जरिये बयनामा खरीद की हुई आराजी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा क्रय शुदा आराजी का नामांतकरण संख्या 1243 दिनांक 03.07.2017 को आराजी खसरा नं० 1186 रकबा 0.13 है० में से हिस्सा 6/13 जगदीश पुत्र रामस्वरूप जाति ब्राह्मण के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया एवं उक्त आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में अपीलांट के पिता का नाम रामस्वरूप गलत दर्ज कर दिया गया। अपीलान्ट ने उक्त नामांतरण को दुरूस्त करने हेतु बैयनामा दिनांक 28.06.2017 की प्रति, जमाबन्दी सं० 2074–77 खाता सं० 92 की प्रति एवं

जिला कलक्टर

आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलान्ट के पिता का नाम भगवान सहाय अंकित किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेडा की तथ्यात्मक रिर्पोट के आधार पर हाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज आराजी खसरा नं० 1186 रकबा 0.13 है० गिरधारी पुत्र रामस्वरूप जाति बाह्मण हिस्सा 7/13 एवं जगदीश पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 6/13 दर्ज रिकार्ड है। बैयनामा नामांतकरण सं० 1243 दिनांक 03.07.2017 में खसारा नं० 1186 रकबा 0.13 है० में जगदीश पुत्र रामस्वरूप हिस्सा 6/13 दर्ज व तस्दीक किया हुआ है जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु रिपोर्ट भिजवाई गई है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनामा नामान्तरण 1243 दर्ज व तस्दीक करते समय अपीलान्ट के पिता का नाम रामस्वरूप दर्ज कर दिया गया जबकि अपीलान्ट के पिता का नाम भगवान सहाय है। अतः अधिनस्थ न्यायालय के त्रुटिपूर्ण नामान्तरण को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा तस्दीक किया गया नामांतरण संख्या 1243 दिनांक 03.07.2017 को निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि अपीलाण्ट के दस्तावेजों की विधिक जांच व परीक्षण कर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राज0)